FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No..... Dated...28.12.2017.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.875 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Raila pali Village (s) in Almora Tahsils.**
It is further certified that:

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.875** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure.....

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(f) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

Nitin singh Bhadauria
District Collector, Almora

जिला समाज कल्याण अधिकारी

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No......................... Dated...28.12.2019........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified **that 0.875 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Raila pali Village (s) in Almora Tahsils.**

It is further certified that:

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.875** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(i) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Raila pali** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(j) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(l) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Nitin singh Bhadauria
District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date.28.12.2019....at time.4:30.PM.at Almora in which application claiming rights **of Raila pali** measuring **0.875 hac.**for the जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 कि0मी0) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य। लम्बाई 3.00 कि0मी0।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा अल्मोड़ा में **कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य। लम्बाई 3.00 कि0मी0** के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.875** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **शून्य** है0 अर्थात कुल **0.875** हे0 का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–**अल्मोड़ा**) की दिनांक 19.12.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सु0 श्री सीमा विश्वकर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– सु0 श्री सीमा विश्वकर्मा उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा अध्यक्ष

2– श्री संचिता वर्मा वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य

3– श्री शैलेन्द्र पाण्डे सहायक समाज कल्याण अधिकारी हवालबाग सदस्य/सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य। लम्बाई 3.00 कि0मी0** के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.875** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **शून्य** है0 अर्थात कुल **0.875** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी

दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत **कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य। लम्बाई 3.00 कि0मी0** के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.875** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **शून्य** है0 अर्थात कुल **0.875** हे0 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 3.00

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– रैलापाली

तहसील–अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 3.00 के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.875** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **शून्य** है0 अर्थात कुल **0.875** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रैलापाली .... द्वारा दिनांक 18-4-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रैलापाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
V.P.D.O.
Village Panchayat
Block Hawalbagh

ग्राम प्रधान

दिनांक 18-5-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत— रैलापाली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	बिट्टू कर्नाटक	[signature]
02.	राधा मोहन कर्नाटक	[signature]
03.	देवेन्द्र प्रसाद कर्नाटक	[signature]
04.	मोहन चन्द्र कर्नाटक	[signature]
05.	बद्री प्रसाद कर्नाटक	[signature]
06.	हंसादत्त कर्नाटक	[signature]
07.	मनोज कर्नाटक	[signature]
08.	दिनेश चन्द्र जोशी	[signature]
09.	चन्द्र दत्त जोशी	[signature]
10.	ओम प्रकाश कापड़ियाल	[signature]
11.	चन्द्रशेखर सती	[signature]
12.	करन कर्नाटक	
13.	हेम चन्द्र जोशी	[signature]
14.	कौशल किशोर पाण्डे	[signature]
15	पंकज वर्मा	[signature]
16	[illegible] सिंह	[signature]
17	प्रदीप जोशी	[signature]
18	कमल सतवाल	[signature]
19	जीवन चन्द्र तिवारी	[signature]

[signature]
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 3.00

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–...रैलापाली
तहसील–अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 3.00 के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.875** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **शून्य** है0 अर्थात कुल **0.875** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ..रैलापाली .... द्वारा दिनांक..18-4-18..को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...रैलापाली...के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
V.P.D.O.
Village Panchayat
Block Hawalbagh

ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत रैलापाली
विकास खण्ड हवालबाग
जिला अल्मोड़ा

दिनांक ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत--

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	बिरटू कर्नाटक	बिरटू कर्नाटक
02.	राधा मोहन कर्नाटक	[illegible]
03.	देवेन्द्र प्रसाद कर्नाटक	[illegible]
04.	मोहन चन्द्र कर्नाटक	[illegible]
05.	बद्री प्रसाद कर्नाटक	[illegible]
06.	हरीदत्त कर्नाटक	[illegible]
07.	मनोज कर्नाटक	[illegible]
08.	दिनेश चन्द्र जोशी	[illegible]
09.	चन्द्र दत्त जोशी	चन्द्रदत्त
10.	ओम प्रकाश काण्डपाल	O.P. Kandpal
11.	चन्द्र शेखर सत्ती	[illegible]
12.	करन कर्नाटक	
13.	हेम चन्द्र जोशी	जोशी
14.	कौशल किशोर पाण्डे	[illegible]
15	पंकज शर्मा	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	प्रदीप जोशी	[illegible]
18	कमल सतवाल	[illegible]
19.	अम्बीराम आर्य	[illegible]
20	जीवन चन्द्र तिवारी	[illegible]

[illegible]

ग्राम प्रधान